# मेरठ विकास प्राधिकरण
# की
# 110वीं बोर्ड बैठक
# दिनांक : 15–02–2018 का कार्यवृत्त

# मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 110वीं बैठक दिनांक 15–02–2018 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 110वीं बैठक सभागार–मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 15–02–2018 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री साहब सिंह | उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। | उपाध्यक्ष। |
| 2. | श्री अनिल ढींगरा, | जिलाधिकारी, मेरठ। | सदस्य। |
| 3. | श्री राधे श्याम मिश्रा | अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ (विशेष आमन्त्रित सदस्य) | सदस्य। |
| 4. | श्री काली विभूति शुक्ला, | सहयुक्त नियोजक, मेरठ मण्डल, मेरठ प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ मुख्यालय, लखनऊ। | सदस्य। |
| 5. | श्री अतुल कुमार सिंह, | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ। | सदस्य। |
| 6. | श्री एस0पी0एन0 सिंह, | अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। | सदस्य। |
| 7. | श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह | अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, मेरठ (विशेष आमन्त्रित सदस्य) | सदस्य। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | श्री संजय शर्मा | उप महा प्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ। | सदस्य। |
| 9. | श्री मुन्ना सिंह | अधिशासी अभियन्ता, प्रतिनिधि– अधीक्षण अभियन्ता, अस्थायी निर्माण मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, मेरठ। | सदस्य। |
| 10. | श्री सुधीर कश्यप | चीप कोडिनेटर प्लानर–प्रतिनिधि आयुक्त, एन0सी0आर0 गाजियाबाद | सदस्य। |
| 11. | श्री राज कुमार, | सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। | संयोजक / सदस्य। |

**109वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–07–2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि–**

मानीय बोर्ड द्वारा दिनांक 25–07–2017 को सम्पन्न 109वीं बोर्ड बैर्ड के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

**प्राधिकरण की 107वी बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 में मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के निर्णय पर अनुपालन–**

| बिन्दु सं0 | प्रकरण | प्रस्तुत अनुपालन आख्या | दिया गया निर्देश |
|---|---|---|---|
| 4 | प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से तेजगढी चौराहा, हापुड अडडा चौराहा, बेगमपुल चौराहा व एच0आर0एस0 चौराहा के निर्माण कार्यो के स्थल निरीक्षण हेतु प्राणिकरण बोर्ड द्वारा समिति | बोर्ड के निर्णय के अनुपालन मे गठित समिति के निर्देशानुसार ट्रैफिक को सुगम बनाने के दृष्टिगत तेजगढी चौराहा, हापुड अडडा चौराहा, एच0आर0एस0 चौराहा, दैनिक जागरण चौराहा व रेलवे रोझ चौराहा का सर्वे | मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि तेजगढी चौराहा, हापुड अड्डा, एच0आर0एस0 चौराहा व दैनिक जागरण, रेलवे रोड़ चौराहा का सर्वेक्षण कार्य प्राधिकरण द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। सर्वे के अनुसार |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | गठित करने का निर्देश दिया गया तथा यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त कार्यो का समिति के निरीक्षण तक अवशेष भुगतान की कार्यवाही स्थगित रखा जाय। | कराया गया था तथा आ रही बाधाओ यथा **विद्युत के खम्बे, टेलीफोन के खम्बे व होर्डिंग आदि चिन्हित किए गए है जिन्हें हटवाने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय कर हटवाया जाना प्रस्तावित है। बेगमपुल चौराहा व हापुड अडडा चौराहा पर फ्लाई ओवर बनाया जाना प्रस्तावित हैं,** जिसके सम्बन्ध मे कार्यवाही प्रगति पर है।<br>उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। | चौराहा के सुदृढीकरण में आ रही बाधाओं यथा–विद्युत के खम्बे, टेलीफोन के खम्बे, पेड़, फुटपाथ व होर्डिंग आदि को दूर करने हेतु सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुला ली जाय तथा बाधाओं को दूर कराते हुए यातायात को सुगम बनाया जाय। |

**108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–12–2016 में प्रस्तुत प्रस्ताव की अनुपालन–**

| मद सं0 | प्रकरण | प्रस्तुत अनुपालन आख्या | दिया गया निर्देश |
|---|---|---|---|
| मद सं0 05 | प्राधिकरण की गंगा नगर योजनार्न्तगत पॉकेट बी स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी–01, क्षेत्रफल 1552.50 वर्ग मीटर को सी0एन0जी0 | गैल गैस लि0 द्वारा मय ब्याज देय धनराशि का भुगतान करके **दिनांक 11–10–2017 को अपने पक्ष में भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित कराया जा चुका हैं।** | अनुपालन आख्या अवलोकित। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | स्टेशन की स्थापना हेतु गेल गैस लि0 को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में। | | |
| मद सं0 07 | पल्लवपुरम फेस–द्वितीय योजनान्र्तगत भूखण्ड संख्या केपी–11 स्थित स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किये गये अनधिकृत निर्माण के शमन के सम्बन्ध में। | माननीय बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण की अपील संख्या–30/2014–15 में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक–08.08.2016 के अनुपालन में प्रकरण में प्राधिकरण की 106वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–07 पर विचारार्थ रखा गया। माननीय बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में गठित समिति द्वारा उक्त निर्माण शमन योग्य नही पाया गया।<br>आवेदक द्वारा माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में उक्त अपील प्रस्तुत की गयी। माननीय आयुक्त न्यायालय द्वारा अपील संख्या 30/2016–17 श्री कलीराम त्यागी बनाम मेरठ विकास प्राधिकरण में आदेश दिनांक–20.09.2017 को पारित हुआ जिसके द्वारा माननीय आयुक्त न्यायालय ने अपील कर्ता **श्री कलीराम त्यागी** के भूखण्ड संख्या–K.P.-11 पल्लवपुरम फेस–द्वितीय पर बने भवन के विरूद्ध जारी | मा0 बोर्ड द्वारा शिथिलता का अनुमोदन देते हुए शमन किये जाने का निर्देश दिया गया। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक–29.04.17 के द्वारा निरस्त किया गया। साथ ही साइड सैटबैक के बारे में शिथिलता हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011) के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण बोर्ड में विचारार्थ प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये।<br><br>भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011) के प्रस्तर **3.4(v) में उल्लेखित विशेष परिस्थिति में कोने के भूखण्ड के साइड सैटबैक में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा शिथिलता दिये जाने का प्रावधान है।** प्रश्नगत भूखण्ड संख्या–K.P.-11 पल्लवपुरम फेस–द्वितीय में स्थित कार्नर का भूखण्ड है तथा साइड सैटबैक में आवेदक द्वारा निर्माण को शमन का अनुरोध किया गया है। **मा0 आयुक्त/अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुपालन में साइड सैटबैक में शिथिलता दिये जाने का प्रस्ताव मद सं0 23 पर मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| मद सं0 10 | उ0प्र0 शासन द्वारा जारी धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु उपविधि के अंगीकरण के सम्बंध में। | प्राधिकरण द्वारा उपविधि का अनुपालन किया जा रहा है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |
| मद सं0 15 | शताब्दीनगर आवासीय योजना सैक्टर–2 मे निर्माणाधीन उपाध्यक्ष आवास के निर्माण कार्य को उसकी लागत, भविष्य मे होने वाले सम्भावित रखरखाव पर होने वाले अत्याधिक व्यय एवं वर्तमान मे निर्माणाधीन भवन की उपयोगिता आदि को दृष्टिगत रखते हुए निर्माणाधीन कार्य को इसी स्तर पर रोकने एवं निर्माणाधीन भवन का कालान्तर मे | बोर्ड के निर्णय के अनुपालन मे उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता मे सचिव, मुख्य अभियन्ता, मुख्य नगर नियोजक, वित्त नियन्त्रक, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता की समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भवन की लागत का आँकलन कर आवासीय उपयोग हेतु ही आफर प्राप्त कर नीलामी की जाय।<br><br>कोई आफर प्राप्त न होने की दशा मे भूखण्ड की लोकेशन, क्षेत्रफल, निर्माण, मार्ग की चौडाई आदि के सापेक्ष तलपट मानचित्र का समग्र परीक्षण कराते हुए अन्य उपयोग के प्रस्ताव पर बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाय। उक्त के क्रम मे प्रश्नगत भवन की कास्टिंग करायी गयी है जो कि रू0–1,021.00 लाख आती है। इस धनराशि को भवन का न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित कराते हुए | बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि एक समिति जिसमें जिलाधिकारी मेरठ, अपर आयुक्त श्री राधेश्याम मिश्रा एवं सहयुक्त नियोजक श्री के0वी0शुक्ला होगें, इस प्रकरण की जाँच करें तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को हुई हानि का आंकलन करते हुए जिम्मेदारी तय करे, साथ साथ विभिन्न विकल्प इस सम्पत्ति के उपयोग/निस्तारण के सम्बन्ध में फिर से विचार कर प्रस्तुत करें। सचिव, एम0डी0ए0 समिति के संयोजक होगे।<br><br>उपाध्यक्ष, नीलामी हेतु अन्य उपयोग की सम्भावनाओं के दृष्टिगत नीलामी पर विचार करें। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | यथा–उपयोग करने / नीलामी द्वारा विक्रय करने के सम्बन्ध में। | नीलामी की जा रही है। उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। | |

**प्राधिकरण की 108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–12–2016 में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के निर्णय पर अनुपालन–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राधिकरण बोर्ड सदस्य श्री परमिन्दर इशू द्वारा प्राधिकरण योजनाओं की एस0टी0पी0 बन्द रहने का तथ्य संज्ञान में लाया गया जिस पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड के नामित / गैर सरकारी सदस्यों के साथ प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 का संयुक्त निरीक्षण करा दिया जाय। | प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित एस0टी0पी0 के ट्रीटेड वाटर को पार्कों की सिंचाई एवं अन्य उपयोग में लाये जाने हेतु जल निगम, मेरठ के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया जा चुका है तथा परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, मेरठ द्वारा जारी स्थल निरीक्षण आख्या पत्रांक–39 / कार्य निरीक्षण / 04 दिनांक 17.01.2018 की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। कार्यवृत्त में मुख्य रूप से ट्रीटेड एफ्लूएन्ट को री–साईकिलिंग कराये जाने पर बल दिया गया है। इस हेतु जल निगम द्वारा यू0वी0 (अल्ट्रा वायलेट) स्थापित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं तथा इस हेतु विभिन्न स्थलों की उपलब्धता / अनुपलब्धता का भी उल्लेख किया गया है।<br><br>इस हेतु जल निगम के अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया है कि री–साईकिलिंग के उपरान्त "सम्पवैल" की स्थापना करनी होगी, सम्पवैल की स्थापना के उपरान्त पम्प लगाकर पानी को विभिन्न प्रयोग में लाया जा सकेगा। इस हेतु | अधिशासी अभियन्ता, जल निगम यथाशीघ्र प्रस्ताव (डी0पी0आर0) प्रस्तुत करे।<br><br>डी0पी0आर0 हेतु एक लाख का भुगतान जल निगम को किया जायेगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | जल निगम द्वारा परियोजना तैयार की जा रही है। | |

**109वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–07–2017 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–**

| मद सं0 | विषयक | अनुपालन आख्या | बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश |
|---|---|---|---|
| मद सं0–01 | वित्तीय वर्ष 2016–17 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 का प्रस्तावित आय–व्ययक। | वित्तीय वर्ष 2016–17 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रस्तावित आय–व्ययक पर मा० बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।<br><br>वित्तीय वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित आय–व्ययक मद संख्या 01 पर प्रस्तुत है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |
| मद सं0–02 | मै0 एम0एल0 एग्रीटैक द्वारा श्रीमती नीना गर्ग एवं श्री पंकज गर्ग, ग्राम बटजेवरा, सरधना रोड़, जिला मेरठ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में। | माननीय बोर्ड के निर्णयानुसार मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करते हुए शुल्क जमा कराने हेतु पत्र जारी किया जा चुका है। प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | निर्देश दिये गये कि Undertaking लेकर कार्यवाही की जाय। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **मद सं0–03** | मेरठ दिल्ली मार्ग पर ग्राम दौलतपुर फरूखाबाद उर्फ कायस्थ गावड़ी के खसरा नं0 825 व 826 क्षेत्रफल 2. 2010 हे0 स्थित परगना व तहसील मेरठ जिला मेरठ का भू–उपयोग मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु कृषि से सार्वजनिक सुविधायें (शैक्षिक एवं सामुदायिक सुविधायें) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। | माननीय बोर्ड के निर्णयानुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |
| **मद सं0–04** | बैकहो लोडर मशीन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में | माननीय बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि नयी बैकहो लोडर मशीन क्रय करने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 11/17/523/18–2–2017 –97(ल0उ0) दिनांक 23–08–17 के अनुपालन में जेम पोर्टल के माध्यम से उक्त शासनादेश के बिन्दु 3 के पैरा–II में रूपये 50,000/– से अधिक रूपये 30,00,000/– तक तक मशीनरी की | अनुपालन आख्या अवलोकित। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | आपूर्ति किये जाने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेशों के अनुपालन में नयी बैकहो मशीन क्रय करने हेतु दिनांक 26–10–2017 व दिनांक 28–12–2017 को प्राधिकरण द्वारा फर्म/डीलरो द्वारा बैकहो लोडर विक्रय सम्बन्धी जानकारी जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं करायी गयी है।<br>उपरोक्त के दृष्टिगत उपाध्यक्ष द्वारा विभागीय पुरानी एल. एण्ड टी. मशीन को ठीक/मरम्मत कराने के दिनांक 23–01–2018 को आदेश दिये गये है। उक्त आदेश के अनुपालन में पुरानी एल. एण्ड टी. मशीन को ठीक कराने की कार्यवाही की जा रहा है। | |
| **मद सं0–05** | मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में अनुरक्षण शुल्क के समस्त मदों की धनराशि के सम्बन्ध में प्रस्ताव। | माननीय बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में अनुरक्षण शुल्क हेतु नियमावली तैयार कर ली गयी जो मा0 बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ पृथक से मद सं0 21 पर प्रस्तुत है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **मद सं0–06** | मैसर्स प्रसन्दी स्किल्ड टैक प्रा0लि0 द्वारा श्री विजय पाल यादव एन0एच0–58 स्थित ग्रीन वर्ज क्षेत्र में सी0एन0जी0 पम्प स्थापित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति के क्रम में मानचित्र स्वीकृत करते हुए मा0 आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त मानचित्र जारी किया जा चुका है। प्रभाव शुल्क की दर हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित कर मार्ग–दर्शन मांगा गया है। | एक अनुस्मारक प्रेषित कर एक माह तक अगर कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता है तो बकाया धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। |
| **मद सं0–07** | मेरठ विकास प्राधिकरण, द्वारा विभिन्न श्रेणी की सम्पत्तियों की किस्तों पर लिये जाने वाली ब्याज दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में। | मा० बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है। संशोधन विषयक प्रस्ताव मद संख्या 02 पर मा० बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |
| **मद सं0–08** | निर्मल हिण्डन नदी परियोजना के सम्बन्ध में। | मा० बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |
| **मद सं0–09** | प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में। | प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवासीय दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में मा० बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष **2017–18 के शेष माहों के लिये आवासीय दरों का प्रस्ताव मद** | अनुपालन आख्या अवलोकित। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या 03 पर प्रस्तुत है। | |

**माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **अनुपूरक मद सं0 01** | भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों को समेकित (Amalagamate) किये जाने के सम्बन्ध में। | बोर्ड के निर्णयानुसार अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय से आमेलन नीति का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विकास क्षेत्र में आमेलन नीति लागू की जा चुकी है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है। आमेलन नीति की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |
| **अनुपूरक मद सं0 02** | उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम– 1973 की धारा–26(क) में प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधायन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, निर्माण खण्ड–6 एवं निर्माण खण्ड–8 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मेरठ को करने के सम्बन्ध में। | माननीय बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम– 1973 की धारा–26(क) में प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधायन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, निर्माण खण्ड–6 एवं निर्माण खण्ड–8 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मेरठ को कर दिया गया है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **अनुपूरक मद सं0 03** | औद्योगिक भूखण्डों के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | माननीय बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि औद्योगिक क्षेत्र में मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण कार्यालय को इस श्रेणी का कोई मानचित्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः प्रकरण में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |

**110वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15—02—2018 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय—**

| मद सं0 | विषय | निर्णय |
|---|---|---|
| **मद सं0 01** | वित्तीय वर्ष 2017—18 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2018—19 का प्रस्तावित आय—व्ययक। | 1. वित्तीय वर्ष 2017—18 का पुनरीक्षित आय—व्ययक प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि शमन मद में प्रस्तावित आय रू0 15.00 करोड़ रखी जाय।<br>2. वित्तीय 2018—19 का प्रस्तावित आय व्ययक प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि शमन मद में प्रस्तावित आय रू0 50.00 करोड़ रखी जाय।<br>मा0 बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत आवंटियों से बकाया देय धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में बल्क, ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, इन्स्टीटयूशनल, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग श्रेणी के आवंटियों को तत्काल आर0सी0 जारी की जाय एवं सम्पत्ति निरस्तीकरण कर कब्जा लेने की कार्यवाही भी नियमानुसार की जाए। |
| **मद सं0 02** | 109वीं बोर्ड बैठक द्वारा विभिन्न श्रेणी की आवंटित सम्पत्तियों की किश्तों पर दिनांक 01.08.2017 से संशोधित की गई ब्याज दरों के **स्पष्टीकरण** के सम्बन्ध में। | 1. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन आवंटियों द्वारा नियमित किश्तें जमा की गयी है अर्थात् दिनांक 01–01–2018 के पूर्व कोई किश्त बकाया नहीं है, ऐसे आवंटियों को 109वीं बोर्ड बैठक में निर्धारित की गयी संशोधित ब्याज दरें दिनांक 01–01–2018 से लागू की जाय।<br><br>2. एक मुश्त बकाया धनराशि जमा करने वाले डिफाल्टर आवंटियों के लिये अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखने के निर्देश दिये गये। |
| **मद सं0 03** | प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव अनुमोदित। |
| **मद सं0 04** | प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव अनुमोदित। |

| | | |
|---|---|---|
| मद सं0 05 | मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर आवासीय योजना के सेक्टर 6 पार्ट–2 के पॉकेट बी स्थित शैक्षिक भूखण्ड सं0 NS/PS क्षेत्रफल 6000.00 वर्ग मीटर के सापेक्ष जमा धनराशि के वापसी की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव अनुमोदित। |
| मद सं0 06 | यू0पी0पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के पक्ष में डिफेन्स एन्कलेव योजना के पॉकेट बी में स्थित व्यवसायिक कम आवासीय श्रेणी के भूखण्ड सं0 बीसी–28, क्षेत्रफल 252.00 वर्ग मीटर व भूखण्ड सं0 बीसी–29, क्षेत्रफल 294.00 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव। | प्रस्ताव अनुमोदित। |
| मद सं0 07 | प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का स्थल पर विकास न हो पाने अथवा आवंटन पश्चात किसी विवाद के कारण कब्जा न दे पाने की स्थिति में भूखण्ड के आवंटन का एक योजना से अन्य योजना में उपलब्ध फ्लैटस में समायोजन। | मा0 बोर्ड द्वारा मद सं0 7 एवं मद सं0 08 के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति दी गयी एवं फ्लैट का समायोजन/परिवर्तन फ्लैट के बदले फ्लैट तथा भूखण्ड के बदले भूखण्ड/फ्लैट में आवंटी द्वारा जमा करायी गयी धनराशि के सापेक्ष समानता/नैसर्गिक न्याय के आधार पर किया जाय तथा परिवर्तन/समायोजन हेतु नियमावली बना कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |

| | | |
|---|---|---|
| मद सं0 08 | प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड का स्थल पर विकास न हो पाने अथवा आवंटन पश्चात किसी विवाद के कारण कब्जा न दे पाने की स्थिति में ऐसे अविकसित/विवादित/अनुपलब्ध आवासीय भूखण्ड के आवंटन को एक योजना से अन्य योजना में विकसित आवासीय भूखण्ड में परिवर्तन/समायोजन किये जाने हेतु मा0 बोर्ड की अनुमति से शासन को सन्दर्भित किये जाने हेतु प्रस्ताव। | निर्णय प्रस्ताव 07 के अनुसार। |
| मद सं0 09 | प्राधिकरण की योजनाओं में सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् सम्पत्ति विवाद ग्रस्त हो जाने पर अथवा निर्माण/विकास के कारण कब्जा देने की स्थिति में न होने पर सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धनराशि की बिना कटौती व बिना ब्याज के वापस किये जाने के सम्बन्ध में। | सभी योजनाओं हेतु प्रस्ताव अनुमोदित। |
| मद सं0 10 | शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन सम्मिलित कर अनुमोदन के सम्बन्ध में। | संशोधित भवन उपविधि को अंगीकृत किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| मद सं0 11 | मेरठ के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत भवन मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया के नीति निर्धारण के सम्बन्ध में। | मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तावित मानकों के अतिरिक्त बागपत, खेकडा विकास क्षेत्र में लागू नीति के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन/मानचित्रों को गठित समिति द्वारा परीक्षण करते हुए उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर मानचित्रों को स्वीकृति करने का निर्णय लिया गया तथा बोर्ड का निर्णय प्रस्ताव सहित शासन को सूचित करने एवं समस्त स्वीकृत मानचित्रों को आगामी बोर्ड बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। यह निर्णय भी लिया गया कि वर्तमान निर्माण का Status document करने के लिए Satellite imaging भी करा ली जाये। |
| मद सं0 12 | मेरठ विकास क्षेत्र का संशोधित मेरठ महायोजना तैयार करने के सम्बन्ध में। | प्रस्तावानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| मद सं0 13 | आवासीय भूखण्डों में बहु–आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में। | बहु–आवासीय इकाईया अनुमन्य किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि नियोजित एवम स्वीकृत कालोनियों से भिन्न स्थलों पर दो–गुणा विकास शुल्क लिया जाय। (अर्थात् एक गुणा अतिरिक्त) |

| | | |
|---|---|---|
| **मद सं0 14** | गढमुक्तेश्वर मार्ग के भू–उपयोग के सम्बन्ध में। | प्रस्तावानुसार स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की गईः–<br>1. रोड की चौडाई में कोई कमी नही की जायेगी।<br>2. प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रभाव शुल्क प्राप्त किया जायेगा।<br>3. सैट बैक आदि के सम्बन्ध में प्रस्तावित क्रिया (Land case) से सम्बन्धित भवन उपविधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।<br>4. स्वीकृति प्रदान करते समय वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। |
| **मद सं0 15** | मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा 04नग नये ट्रेक्टर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में। | मा0 बोर्ड द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 02 ट्रेक्टर खरीदे जाने की अनुमति प्रदान की गयी। |
| **मद सं0 16** | मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त फ्लैटस् की कीमत दिनांक 31–03–2019 तक फ्रीज़ किये जाने हेतु प्रस्ताव। | अनुमोदित। |
| **मद सं0 17** | रिट सं0–18896 / 1987 में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11–09–91 के परिप्रेक्ष्य में मै0 जे0 सन्स इंजीनियरिंग कारपोरेशन के गाटा सं0–373, 374 क्षेत्रफल 1–8–1 बीघा स्थित ग्राम कुण्डा | मा0 बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के हित के दृष्टिगत प्रस्ताव / अभिमत अनुमोदित किया गया तथा तद्नुसार शासन में प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। शासन को भूमि अर्जन मुक्त न करने का प्रस्ताव भेजा जाय। |

| | | |
|---|---|---|
| | तहसील मेरठ में कार्यरत फैक्ट्री को अर्जन से मुक्त करने के सम्बंध में। | |
| **मद सं0 18** | रिट याचिका सख्या–47447/2015 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09–09–2015 के अनुपालन में श्री कृष्ण गोपाल व मदन गोपाल पुत्रगण श्यामलाल व राजीव कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश की ओर से शताब्दी नगर योजना हेतु अर्जित ग्राम रिठानी स्थित भूमि खाता सख्या–310 के खसरा सख्या–1034, 1035 व 1037 की 2700 (वास्तविक 2447.063) वर्ग मीटर भूमि को अर्जन मुक्त/लैप्स घोषित कराये जाने हेतु शासन के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर चाहे गये प्राधिकरण बोर्ड के अभिमत हेतु आख्या। | मा0 बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के हित के दृष्टिगत प्रस्ताव/अभिमत अनुमोदित किया गया तथा तद्नुसार शासन में प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। शासन को भूमि अर्जन मुक्त न करने का प्रस्ताव भेजा जाय। |
| **मद सं0 19** | वादों की पैरवी हेतु तैनात पैरोकारों एवं फोटोस्टेट मशीन को आपरेटिंग का कार्य कर रहे कर्मचारियों को भुगतान किये जा रहे भत्ते की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। | फोटो स्टेट मशीन आपरेटिंग का कार्य कर रहे कर्मचारियों को भत्ता दिये जाने पर असहमति जतायी गयी। अतः इन्हें अब कोई भत्ता देय नहीं होगा तथा विभिन्न न्यायालय में पैरवी हेतु तैनात पैराकारों को भुगतान किये जा रहे रू0 500/– प्रति माह पैरोकारी भत्ते पर सहमति दी गयी।<br>कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। |

| | | |
|---|---|---|
| **मद सं0 20** | मेरठ विकास प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के समूह ''ग'' एवं ''घ'' के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण हेतु नियमावली–2016 को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव। | परीक्षणोपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया। |
| **मद सं0 21** | प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत देय अनुरक्षण शुल्क की धनराशि जमा कराने हेतु नियमावली। | मा0 बोर्ड द्वारा अनुरक्षण नियमावली अनुमोदित की गयी तथा निर्देश दिये गये कि प्लाट के प्रकरण में प्लाट एरिया पर तथा फ्लैट के प्रकरण में कवर्ड एरिया पर अनुरक्षण शुल्क लिया जाय। |
| **मद सं0 22** | पल्लवपुरम आवासीय योजना में श्री अनिल कुमार धनकड को आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या पी–118 की देयता के सापेक्ष दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में। | मा0 बोर्ड द्वारा इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रकरण में आवंटी को नोटिस जारी करने के दिनांक 02–11–2011 से बकाया धनराशि रूपये 32,087/– पर विलम्ब हेतु 07 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हुए देय धनराशि आवंटी को सूचित कर दी जाय। ब्याज के मद में देय धनराशि की सूचना जारी करने के दिनांक से आवंटी द्वारा 01 माह की अवधि में प्राधिकरण में जमा करनी होगी। आवंटी के प्रकरण को निस्तारित करते हुए अन्तिम अवसर दिया जा रहा है। |

| | | |
|---|---|---|
| मद सं0 23 | पल्लवपुरम आवासीय योजना फेस–द्वितीय के भूखण्ड संख्या केपी–11 के स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर, किये गये अनाधिकृत निर्माण के शमन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। | प्रस्ताव अनुमोदित। |

**मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमति से प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव पर निर्णय–**

| अनुपूरक मद | विषय | निर्णय |
|---|---|---|
| अनुपूरक मद सं0 01 | माननीय न्यायालय आयुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांकः 25.10.2017 के क्रम में मैसर्स अलफहीम मीटैक्स प्रा0लि0, हापुड रोड, मेरठ की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में। | 1. माननीय न्यायालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के दिनांकः 25–10–2017 के आदेश के अनुसार ध्वस्तीकरण कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाय।<br>2. प्रस्तावित भूमि के मध्य स्थित सरकारी भूमि के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जाय।<br>3. सामुदायिक सुविधाओं की भूमि के समतुल्य भूमि का प्रस्ताव/व्यवस्था पर आख्या।<br>उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। |
| अनुपूरक मद सं0 02 | सुपरटैक स्पोर्ट्स सिटी के संशोधित डी.पी.आर. की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 1. विकासकर्ता से 7.81 एकड भूमि के नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त किया जाय।<br>2. जनसामान्य से प्राप्त की गई आपत्ति/सुझाव का नियमानुसार निस्तारण |

| | | |
|---|---|---|
| | | किया जाय।<br>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए पुनः प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |
| **अनुपूरक मद सं0 03** | श्री राजकमल फर्नीशिंग्स (पार्टनर श्री प्रदीप बंसल) द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | प्रस्तावानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| **अनुपूरक मद सं0 04** | मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना से सम्बंधित किसानों को किये गये अतिरिक्त प्रतिकर/एक्सग्रेसिया की धनराशि दिये जाने सम्बंधी समझौता दिनांक 08–04–2011 के अनुसार डा0 राममनोहर लोहिया नगर, वेदव्यासपुरी, गंगानगर व गंगानगर एक्स0(42एकड) योजना से सम्बंधित किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर/ एक्सग्रेसिया की धनराशि के बदले भूखण्ड दिये जाने सम्बंधी समझौते जिसकी | प्रकरण से सम्बंधित उक्तानुसार स्थिति का उल्लेख करते हुए शासन को कार्यालय पत्रांकः भू–अर्जन/–1464 दिनांक 28–09–2017 व अनुस्मारक पत्रांकः भू–अर्जन/–1813 दिनांक 08–12–2017 एवं पत्रांकः भू–अर्जन/–1854 दिनांक 30–12–2017 इस आशय से मार्ग दर्शन हेतु भेजे गये कि प्राधिकरण की 107वीं बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–03–2016 का क्रियान्वयन करने में कोई विधिक अडचन तो नही है, के क्रम में शासन द्वारा अपने अर्द्ध शा.प.सं.वी.आई.पी.–01/08–3–18–87एल.ए./2000 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 10 जनवरी, 2018 के माध्यम से निर्देशित किया है कि डा0 राममनोहर लोहिया नगर, वेदव्यासपुरी, गंगानगर व गंगानगर (एक्स.) 42 एकड से सम्बंधित योजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर/एक्सग्रेसिया की धनराशि दिये जाने के सम्बंध में स्थानीय स्तर पर ही निर्णय लिया जाना उचित है। कृपया मण्डल स्तरीय समिति में विचार कर प्रकरण का समाधान कराने का कष्ट करें।<br>उक्त सम्बंध में शासनादेश सख्या–3276/8–3–2005–70काम्प/ 2005 |

| | | |
|---|---|---|
| | परिचालन प्रस्ताव उपरान्त 107वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी, को शासनादेश के क्रम में लागू किये जाने पर विचार करने के सम्बंध में। | (आ.ब.–2) लखनऊ, दिनांक 27 जुलाई, 2005 में वर्णित किया गया है कि *"भूमि अध्याप्ति करार नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत भू–स्वामियों के हितों के सरक्षण तथा सम्बंधित अभिकरणों की योजनाओं के क्रियान्वयन में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से उपर्युक्त विवादित भूमि के विवाद निस्तारण हेतु सम्बंधित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। इस समिति के सदस्य–संयोजक, सम्बंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होगें तथा सम्बंधित जिलाधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी, भूमि अध्याप्ति समिति के सदस्य होगें। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से सम्बंधित प्रकरणों में उपाध्यक्ष के स्थान पर परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव समिति के सदस्य–संयोजक होगे। भू–स्वामियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस समिति द्वारा मा0 न्यायालयों में चल रहे विवादों का भी न्यायालय से बाहर समाधान करने पर विचार किया जा सकेगा।*<br><br>*उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह में न्यूनतम दो बार आयोजित की जायेगी तथा सम्बंधित मण्डलायुक्तों द्वारा प्रत्येक बैठक में निस्तारित किये गये प्रकरणों की सूचना आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भेजी जायेगी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विवाद निस्तारित होने के बाद सम्बंधित भूमि पर विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ करा दिया जाए।*<br><br>*उक्त समिति का कार्यकाल दो माह अर्थात 30 सितम्बर, 05 तक सीमित रहेगा अतः भूमि विवाद से सम्बंधित प्रकरणों के निस्तारण में सभी सम्बंधित अधिकारियों द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं समयबद्धता के साथ सहयोग प्रदान किया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों में मण्डलायुक्त की संस्तुति पर समिति के कार्यकाल में यथोचित बढोत्तरी की जा सकेगी।"* |

| | | |
|---|---|---|
| | | उपर्युक्त वर्णित शासनादेश के माध्यम से गठित समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, किन्तु शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में मण्डलीय स्तरीय समिति में विचार कर प्रकरण का समाधान कराने के निर्देश दिये गये है। बोर्ड की इस बैठक में शासनादेश के अनुरूप सभी सदस्य जिसमें जिलाधिकारी, मेरठ, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण तथा अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति उपस्थित है। अतः प्रस्ताव पर पुनः विचार करते हुए बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से 107वीं प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 में लिये गये निर्णय के अनुपालन का निर्णय मण्डलीय समिति के सदस्यों की सहमति के उपरान्त लिया गया। |
| **अनुपूरक मद सं0 05** | श्री धीर सिंह के प्रार्थना पत्र के निस्तारण करने के सम्बन्ध में। | मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये गये कि आवेदक से इस आशय का शपथ ले लें कि 200 वर्ग मीटर का भूखण्ड उन्हें स्वीकार है, वें कोर्ट से अपना वाद वापस ले लेंगे तथा भविष्य में प्राधिकरण के प्रति कोई वाद योजित नहीं करेगे। उनकी जमा धनराशि में रूपये 2,00,000/– कीमत में तथा शेष रूपये 1,00,000/– फ्रीहोल्ड व प्रतिकर आदि में समायोजित कर ली जाय। इसे दृष्टान्त न बनाया जाय। |

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

| | | |
|---|---|---|
| (राज कुमार)<br>सचिव,<br>मेरठ विकास प्राधिकरण,<br>मेरठ। | (साहब सिंह)<br>उपाध्यक्ष,<br>मेरठ विकास प्राधिकरण,<br>मेरठ। | (डा0 प्रभात कुमार)<br>अध्यक्ष,<br>मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,<br>मेरठ। |